न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अवमानना प्रा0पत्र संख्याः—247/2018/ (2018/00247)

1. मुस्ताक बेग पुत्र कमरूबेग,
2. फिरोज बेग पुत्र गफूर बेग,
3. बाबर बेग पुत्र रूस्तम बेग,
4. सद्दीक बेग पुत्र भंवर बेग,
5. जुम्मा बेग पुत्र अनवर बेग,

समस्त जाति मुसलमान, नि0 ग्राम जिलावड़ा, तह0 नसीराबाद जिला अजमेर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबू बेग पुत्र हासमबेग, जाति मुसलमान,
2. रहमत बेग पुत्र बाबू बेग, जाति मुसलमान,
3. मुराद बेग पुत्र बाबू बेग, जाति मुसलमान,
4. सलीम बेग पुत्र बाबू बेग, जाति मुसलमान,
5. हनीफ बेग पुत्र बाबू बेग, जाति मुसलमान,
6. ईस्लाम बेग पुत्र हैदर बेग, जाति मुसलमान,
7. मुस्ताक बेग पुत्र हैदर बेग, जाति मुसलमान,

निवासी ग्राम जिलावड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए जा0दी0.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील प्रार्थीगण ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4.
3. श्री इकबाल मौहम्मद, वकील अप्रार्थी संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः—29.03.2019

1. प्रार्थीगण ने यह अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए जा0दी0 के तहत हाजा न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.5.2011 की अवमानना के संबंध में पेश किया गया है ।
2. अवमानना प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण के उपस्थित होने प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
3. विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता हासम बेग द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 व 188 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत किया था जिसमें निर्णय डिक्री दिनांक 11.5.2011 को पारित की जाकर वादी/अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का वाद डिक्री किया गया था । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2011 के विरूद्ध

प्रार्थीगण/अपीलांटस ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 163/2011 बउनवान भंवर बेग बनाम हासम बेग अंतर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत की गई तथा उक्त अपील के साथ प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का भी पेश किया । न्यायालय हाजा ने प्रार्थना पत्र धारा 212 में दिनांक 18.5.2011 को अपीलाधीन भूमि हाल खसरा नंबर 188/5324 रकबा 2.12 है0 भूमि बाबत् रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये थे जो आज दिवस तक यथावत् है इसके बावजूद अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश की खुले रूप में अवज्ञा कारित करते हुए मौके पर विवादित स्थल जमीन में अवैध निर्माण दिनांक 25.7.2018 को चालू करते हुए मकान बनाना शुरू कर दिया तथा 7 फीट उंची दीवार बनाकर निर्माण कार्य जारी रखे हुए है । अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश की तामील कराये जाने तथा अवगत कराये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण मान नहीं रहे है । इस प्रकार अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेशों की अवहेलना कर रहे है जो न्यायालय के आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आता है । अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 18.5.2011 की अप्रार्थीगण द्वारा अवमानना किये जाने से अप्रार्थीगण को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जाकर जुमाना के दण्ड से दण्डित किया जावे ।

4. जवाब में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा नियमित राजस्व अपील संख्या 163/2011 भंवरबेग बनाम हासम बेग वगैरह प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 19.3.2019 को निरस्त कर दी गई है जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है तथा निरस्त योग्य है । बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 5 हनीफ बेग पुत्र बाबू बेग उक्त उनवानी मूल अपील में पक्षकार ही नहीं हैं । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । मूलतः प्रकरण धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 से संबंधित है । अधी0न्याया0 द्वारा रेस्पो0/वादी का वाद दिनांक 11.5.2011 को वादी/रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जा मानते हुए डिक्री किया गया है व इसके विरूद्ध उक्त उनवानी अपील में भी हाजा द्वारा वादी/रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त को मानते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 163/2011 बउनवान भंवरबेग बनाम हासम बेग को निर्णय दिनांक 19.3.2019 को खारिज किया है तथा यह प्रकरण उसी नियमित अपील का भाग है । चूंकि मूल अपील खारिज हो चुकी है इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतः ही सारहीन हो चुका है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

6. निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर